

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननुरखेडा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(2)/ 313 /स्थाना0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 तथा शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश सं0-124/XXX-2/22-30(13)2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान ₹ 47600-151100, लेवल-08) को उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण" श्रेणी के अन्तर्गत निजी व्यय पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ओम प्रकाश सिंह रावत	रा0इ0का0 बूरा, चमोली	रा0इ0का0 काटल, टिहरी	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में सेवारत् पत्नी	अनिवार्य स्थानान्तरण श्रेणी (दुर्गम से सुगम) में क्रमांक 03 पर रिक्त होने वाले पद के प्रति
2	श्री पूरन सिंह डैला	रा0इ0का0 रीठाखाल, चम्पावत	रा0इ0का0 धानाचुली, नैनीताल	वरिष्ठ कार्मिक	अनिवार्य स्थानान्तरण श्रेणी (दुर्गम से सुगम) में क्रमांक 01 पर रिक्त होने वाले पद के प्रति
3	श्री भीम सिंह	कार्या0 ख0शि0अ0 दुगड्डा, पौड़ी	रा0इ0का0 डुण्डा, उत्तरकाशी	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

01. स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
02. स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
03. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
04. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(एस0पी0 खाली)
अपर निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0सेवायें-3(2)/ 6402-6420 /स्थाना0/2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

MAD

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
03. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
06. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
07. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
08. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
09. संयुक्त निदेशक, लेखा स्थापना, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संबंधित जनपद।
12. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
13. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) सम्बन्धित जनपद।
15. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
16. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक की कार्यभार मुक्ति/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूची आज ही विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
18. संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
19. कार्यालय गार्ड फाईल।


10/12/2022
(एम0एस0 बिष्ट)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड